

ठाणे जिल्हा परिषद	5 JUL 2003
क्रमांक	382
दिनांक	31/07/03
व्यवस्थापक	
सहायक	
संयोजक	
सहायक	

ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने जिल्हा परिषदा / पंचायत समित्यांना मंजूर केलेल्या आकृतीबंधातील मंजूर पदांचा प्रदत्त आढावा सुधारित आकृतीबंध

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक एपिटी-एपिटी १००१/प्र.क्र.१६०/आस्था-८

मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२

दि. २७ जून २००३

संदर्भ :- १) क.एपिटी १०७५/जे.चार, दिनांक २५ मार्च, १९७५ च्या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला आकृतीबंध.

२) क.एपिटी १०८१/११०३१/चार, दि. ३० एप्रिल, १९८१

३) क.एपिटी ३३८२/XLIV, दि. २५ ऑगस्ट, १९८२

४) क.एपिटी १०८३/७८२९/५४२/९२, दि. १५ ऑगस्ट, १९८३

५) क.एपिटी १०८४/सीआर ८०८/९२, दि. २७ सप्टेंबर, १९८४

६) क.एपिटी १०९४/प्र.क्र.१३४६/९३, दि. १४ ऑगस्ट, १९९६

७) क.एपिटी १०९४/प्र.क्र.१३४६/९३, दिनांक १६ ऑगस्ट, १९९६

८) क.जिपआ १०९८/सीआर ०३९८/९३, दि. २९ सप्टेंबर, १९९८

९) क.जिपआ १०९९/प्र.क्र.६९८७/९४, दि. २४.४.१९९९

१०) क.जिपआ १०९८/सीआर.६०/९३, दि. १५ जून, १९९९

११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अस्तक ६००९/प्र.क्र.२९/ २००१

वित्तीय सुधारणा, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१

शासन निर्णय :- ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने जिल्हा परिषदा / पंचायत समित्यांना मंजूर केलेल्या आकृतीबंधातील मंजूर केलेल्या पदांचा आढावा घेणे, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे नवे व अतिरिक्त संदर्भ योजनांतर्गत कक्षाच्या स्थापनेच्या संदर्भात वित्त विभागाच्या दि. १० सप्टेंबर, २००१ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या आदेश देण्यात आलेले आहेत. या आदेशानुसार वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ व २ द्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदा / पंचायत समित्यांना मंजूर केलेल्या आकृतीबंधातील मंजूर पदांचा पदांचा सर्वंकष आढावा वरील संदर्भाधीन क्र. ११ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आला असून विभागाच्या या आढाव्यास मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने दिनांक २४ मार्च, २००३ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदा / पंचायत समित्यांच्या सुधारित आकृतीबंध सोबतच्या प्रपत्राप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे.

हे आदेश वित्त विभागाच्या अनीपचारिक संदर्भ क्र. ३६७/०३/व्यव-१५, दि. १९.०६.२००३ व अनीपचारिक संदर्भ क्र. ५६०/०३/वित्तीय सुधारणा-९, दि. २४.०६.२००३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निष्पत्तीत करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(अ.जी.जी.)
(शासकीय जास्त)

उपखंड - ३

१. जिल्हा परिषदांचे वर्गीकरण

"अ" वर्ग जिल्हा परिषदेचे नांव	"ब" वर्ग जिल्हा परिषदेचे नांव	"क" वर्ग जिल्हा परिषदेचे नांव	विशेष वर्ग विभाजीत जिल्हा परिषद / नवनिर्मित जिल्हा परिषदेचे नांव
१	२	३	४
१) नाशिक	१) ठाणे	१) रत्नागिरी	१) मुल्ले
२) जळगाव	२) रायगड	२) सिंधुदूर्ग	२) तंदूरबार
३) अहमदनगर	३) सातारा	३) झांगली	३) परभणी
४) पुणे	४) सोलापूर	४) औरंगाबाद	४) हिंगोली
	५) कोल्हापूर	५) जालना	५) अकोल
		६) बीड	६) वार्डि
		७) नांदेड	७) भंडारा
		८) चरमनाबाद	८) मांदिया
		९) नांदूर	
		१०) अमरावती	
		११) अमरावती	
		१२) बुलढाणा	
		१३) नांदूर	
		१४) नांदूर	
		१५) नांदूर	
		१६) नांदूर	

२. पंचायत समित्यांचे वर्गीकरण

वर्ग	अ) वर्ग पंचायत समितीचे नाव	ब) वर्ग पंचायत समितीचे नाव	क) वर्ग पंचायत समितीचे नाव
१) तहसीला	१) दसई २) पालघर	१) ठाणे २) भिवंडी ३) राहापूर ४) डहाणू	१) तलासर २) जवहार ३) मोखाळा ४) वाडी ५) मुरबाड ६) कल्याण ७) उत्तहासनगर
२) गड		१) अलिबाम २) पेनवेल ३) माणसवे ४) महाड	१) डरण २) कर्जत ३) खालापूर ४) पण ५) सुधागड ६) रोहा ७) पोलादपूर ८) म्हसाळा ९) श्रीवर्धन १०) मुठुड ११) मजणगड
३) रत्नागिरी	१) रत्नागिरी २) चिपळूण ३) सांगमेश्वर ४) राजापूर	१) मुहागर २) दापली ३) खेड ४) लांज	
४) सिंधुदूर्ग		१) कणकवली २) कुडाळ ३) सायलवाडी ४) मालवण ५) देवगड ६) दिडोरी	१) भववाडी २) वंगुर्ला
५) नाशिक	१) नाशिक २) मालगाव	१) बांगलाण २) चौदवड ३) नादगाव ४) येवले ५) निफाड ६) सिन्नर ७) इगतपुरी	१) पंढ २) सुरगणा ३) कळदण
६) धळे	१) धळे	१) साक्री २) शिरपुर ३) शिवखेड	

परिचर	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वाग-तान) (आरम्भ)	१	१	१
अधीक्षक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (आरम्भ)	४	४	४
बांधकाम विभाग				
सहाय्यक लेखा अधिकारी	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (लिखा) अणी एक	१	१	१
अधीक्षक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (लिखा) लिपिक	१	१	१
	वर्गीय अणी दोन			
३ वरिष्ठ सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (लिपिक वर्गीय) अणी	१	१	१
	दोन			
४ वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (लिखा) अणी दोन	२	२	२
५ सहाय्यक सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम लिपिक वर्गीय) अणी	१	१	१
६ कनिष्ठ सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम लिपिक वर्गीय) अणी	१	१	१
	अणी एक			
७ वरिष्ठ सहाय्यक (मांडारपाल)	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (लिपिक वर्गीय) अणी	१	१	१
	दोन			
८ कनिष्ठ सहाय्यक (मांडारपाल)	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम लिपिक वर्गीय) अणी	१	१	१
	अणी एक			
९ मुख्य आरखक	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वाग-तान) (अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी दोन			
१० आरखक	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वाग-तान) (अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी दोन			
११ कनिष्ठ अभियंता	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वाग-तान) (अभियांत्रिकी) अणी	४	४	४
	अणी दोन			
१२ वरिष्ठ यांत्रिकी	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वाग-तान) (अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी दोन			
१३ कनिष्ठ यांत्रिकी	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी एक			
१४ तारतंत्री	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी एक			
१५ संगणक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी एक			
१६ अंतराखक	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम अभियांत्रिकी) अणी	३	३	३
	अणी एक			
१७ जाडार	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम अभियांत्रिकी) अणी	१	१	१
	अणी दोन			
१८ यंत्रकार	जिल्हा सेवा (वाग-तान) (दुय्यम लिपिक वर्गीय) अणी	१	१	१
	अणी एक			
१९ परिचर (हस्त)	जिल्हा सेवा (वाग-तान) परिचर अणी एक	१	१	१
२० परिचर	जिल्हा सेवा (वाग-तान) परिचर अणी एक	७	७	७

प्रपत्र-पांच

"अ", "ब", व "क" वर्ग पंचायत समितीसाठी सुधारित आकृतीबंध

अ. क्र.	पदेनाम	लेखा व वर्ग	"अ" वर्ग पंचायत समिती साठी पदाची संख्या	"ब" वर्ग पंचायत समिती साठी पदाची संख्या	"क" वर्ग पंचायत समिती साठी पदाची संख्या
१	कक्ष अधिकारी	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लिपिक वर्गाचे) श्रेणी एक	१	१	१
२	अधिका (X)	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लिपिक वर्गाचे) श्रेणी दोन	२	२	२
३	सहाय्यक लेखाधिकारी	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) श्रेणी एक	१	१	१
४	कनिष्ठ लेखाधिकारी	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) श्रेणी दोन	१	१	१
५	वागण्ड सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लिपिक वर्गाचे) श्रेणी तीन	५	५	३
६	कनिष्ठ सहाय्यक / भांडारपाल	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम लिपिक वर्गाचे) श्रेणी एक	१०	९	८
७	वागण्ड सहाय्यक लेखा	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) श्रेणी तीन	१	१	१
८	सांख्यिकी सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (सांख्यिकी) श्रेणी दोन	१	१	१
९	कनिष्ठ सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम लिपिक वर्गाचे) श्रेणी एक	०	०	०
१०	वाहन चालक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम अभियांत्रिकी) श्रेणी एक	वाहनाच्या संख्येइतके		
११	परिचर	जिल्हा सेवा (वर्ग चार) (परिचर) श्रेणी एक	८	६	५
१२	विस्तार अधिकारी (कृषि)	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (कृषि)	३	३	२
१३	पशु वैद्यकीय अधिकारी	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (पशुसंवर्धन)	१	१	१
१४	विस्तार अधिकारी (पंचायत व समाज काम्याण)	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (कार्यकारी व ग्रामीण विस्तार)	सध्याच्या कर्मचारी व आकृतीवधामध्ये असित्वात असलेली पदे चालू ठेवण्याचे प्रस्तावित केले होते. शक्यते ३० ते ४० ग्रामपंचायतीसाठी एक विस्तार अधिकारी या धर्तीवर पंचायत समित्यांना वितरित करणे.		
१५	विस्तार अधिकारी (शिक्षण)	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शिक्षण) श्रेणी एक	सध्या त्या श्रेणीत असित्वात असलेली सर्व पदे चालू		

२२	आमग पयवळक	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (आमग) श्रेणी तीन	३	३	२
२३	कनिष्ठ अभियंता	जिल्हा विस्तार अधिकारी (वर्ग तीन) (अभियंत्रिकी)	४	३	२
२४	जलधन पयवळक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम परासंबंधन) श्रेणी एक	४	३	२
२५	तम टांचक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम) (आमग) श्रेणी दोन	४	३	२
२६	कनिष्ठ आसखक	जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (अभियंत्रिकी) श्रेणी तीन	२	२	२
२७	कनिष्ठ अभियंत्यांचे सहाय्यक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम अभियंत्रिकी) श्रेणी एक	२	२	२ ✓
२८	अनुसूचक	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम अभियंत्रिकी) श्रेणी एक	२	२	२ ✓
२९	संस्था प्रहरी	जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (दुय्यम अभियंत्रिकी) श्रेणी एक	२	२	२ ✓

४ टिप :- प्रान विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. एपिटी२००९/प्र.क्र.२०३/१०/१३ दि. १७ ऑक्टोबर, २००९ अन्वये ५७ पंचायत समित्यांमधील पदे रद्द करण्यात आली आहेत. सबब फ्वर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या ५७ पंचायत समित्यांमधील अधिकार्यांची पदे रद्द समजण्यात यावीत.

महाराष्ट्र शासन

क्र. जि.प.ज. २०१५/४१ दि. २५/३/२०१५
 ग्राम विकास व जल संधारण विभाग
 बांधकाम भवन, २५, मडानान पथ,
 फोर्ट, मुंबई - ४०००१
 दिनांक :- ३१ मार्च, २०१५

पान.
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 जिल्हा परिषद,
 ठाणे व पालघर

विषय - पालघर येथील विभागासाठी इतर कनिष्ठ अभियंत्यांची
 पदे निर्माण करण्याबाबत

जिल्हा परिषद, पालघर
 बांधकाम विभाग
 23 APR 2015
 क्र. १०१६
 बांधकाम विभागाच्या दोन कार्यरत विभागांपैकी एक विभाग पालघर येथे स्थलांतरित करण्याचे आदेश
 मु.क. - देण्यात आले आहे

पालघर या नवनिर्मित जिल्ह्यात दिनांक २५/३/२०१५ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव
 समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पालघर येथील विभागासाठी २ उपा अभियंता व २ उपविभागा
 अशी ४ पदे निर्माण करण्यास अनुज्ञेय मान्यता देण्यात आली आहे. वरपेची ठाणे जिल्हा परिषद येथील पालघर येथील
 बांधकाम विभागाच्या दोन कार्यरत विभागांपैकी एक विभाग पालघर येथे स्थलांतरित करण्याचे आदेश

त्यानुषंगाने पालघर जिल्ह्यासाठी आवश्यक विभाग व उपविभाग/कमिती/सिव्हिल नर्सरी ठाणे
 जिल्हा परिषद अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सध्या कार्यरत असलेल्या विभाग/उपविभाग/
 कमिती/सिव्हिल नर्सरी बाबतची माहिती त्वरित सादर करावी जेणेकरून ठाणे जिल्हा परिषदेतून सार्वजनिक बांधकाम
 विभागाच्या एका विभागाचे स्थलांतरण जिल्हा परिषद पालघर येथे केवळ कार्यावातावरित होऊ शकतील असे
 शक्य होईल.

सह सचिव महाराष्ट्र शासन

२७

१०/४/१५
 १४/४/१५
 १५/४/१५

31. ५.

?

2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ

२. उत्तराखण्ड

३. मुरखडि

४. शाहीपुर

15. ਮਿੱਠਾ ਰਵਾਂਡੀ

૩. ઠાળો મુખ્યતઃ.

८. विजयनगर

2. पेन्सिल

१०. निम्नलिखित भाषा

००. बिना पत्रादिनि

१२ डिहाम्पु

१३. पाल्पा

१४ जव्हार मुख्य

विष्णुसहस्रनाम

1992

अध्यापक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

100

11-11-1964

जिह्वा

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----